कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक,
समग्र शिक्षा, जिला– रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 557 / समग्र शिक्षा / स्पे.एजू. / 760 / 2023–24 रायगढ़, दिनांक– 26/07/2023

विज्ञापन

प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, छ.ग.रायपुर के पत्र क्रमांक–1087 / एस.एस. / 24 / 14 / 2022–23 रायपुर, दिनांक– 04 / 07 / 2022 के अनुसार समावेशी शिक्षा (कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक) अंतर्गत् विकास खण्डों में **स्पेशल एजूकेटर** के 09 पदों को भरे जाने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक **20 अगस्त,, 2022** .तक आमंत्रित किया था । अनुसूचित जनजाति के पात्र आवेदकों व्दारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है । **दिनांक 14 अगस्त, 2023** तक अनुसूचित जनजाति के इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा कर सकते है ।

पदों का विवरण एवं पदवार आरक्षण –
स्पेशल एजूकेटर

क्रमांक	वर्ग	मुक्त	महिला	योग
1	अनुसूचित जनजाति	02	01	03

शैक्षणिक अर्हताएँ–

स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में ।

चयन के लिए मेरिट अंक का निर्धारण–

1– स्नातकोत्तर में प्राप्तांक प्रतिशत का 50 प्रतिशत

2– बी.एड. (विशेष शिक्षा) में प्राप्तांक प्रतिशत का 50 प्रतिशत

या

बी.एड्. (सामान्य) में प्राप्तांक प्रतिशत का 25 प्रतिशत एवं डी.एड. 2 वर्षीय (विशेष शिक्षा) में प्राप्तांक प्रतिशत का 25 प्रतिशत वेटेज दिया जायेगा ।

नियम एवं शर्ते–

1– मानदेय पर नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से 06 माह तक के लिये होगी । तत्पश्चात् मानदेय की उपलब्धता एवं मानदेय पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढाने का निर्णय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, रायगढ़ द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी। नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं कर सकेगा।

2– मानदेय पर नियुक्ति अवधि में वेतनमान छ0ग0शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान नहीं होगा ,बल्कि भारत सरकार ,अनुशंसित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में स्वीकृत एकमुश्त राशि रू0 20,000/– मानदेय देय होगा।

3– मानदेय पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगा । सेवा का स्वरूप मानदेय पर आधारित रहेगा। सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारी को किसी प्रकार के पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।

4– आवेदक की आयु– दिनांक 01–07–2023 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छ0ग0शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्णय लागू होगें । एस.टी../एस.सी./ओ.बी.सी./महिला एवं अन्य हेतु आयु सीमा में छूट शासकीय नियमानुसार ही होगा।

5– विकास खण्ड में चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची एवं केस स्टडी विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में सुनिश्चित तरीके से संधारित करना।

6– समय–समय पर समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।

7– इसके अतिरिक्त कार्यालय के निर्देशों पर अन्य कार्य करना।

8– अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से नियुक्त उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर नहीं करेगा।

9– चयनित उम्मीदवार को जिला मिशन संचालक के साथ एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में नियुक्ति रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

10– रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है ।

11– चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र प्राप्ति होने के तुरत ही निर्धारित अवधि में कर्तव्य में शामिल होना पडेगा, अन्यथा मेरिट सूची के अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी ।

12– स्पेशल एजूकेटर को टी.ए./डी.ए. की पात्रता नहीं होगी ।

13– कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो , किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं हैं ।

14– कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा । साथ ही छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हताएं भी लागू होगी । परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या इसके पश्चात हो , जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित होगा।

15– उम्मीदवार छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है । सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

16– शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा ।

17– आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा । आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित /सत्यापित होनी चाहिए ।

18– शासकीय/अर्ध शासकीय अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा ।

19– अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी । ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेगें ।

20– आवेदक को लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदित किया जा रहा है , स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है । लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए ।

21– आवेदन पत्र जिला परियोजना कार्यालय , समग्र शिक्षा कार्यालय कलेक्ट्रेट केम्पस् , रायगढ़ में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेगें । आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार होगी ।

22– आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण के लिये 10 वीं परीक्षा प्रमाण पत्र/अंकसूची देना अनिवार्य होगा ।

23– आवेदक का आवेदन पत्र **दिनांक 14 अगस्त, 2023 को शाम 5.00 बजे** तक **जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, कलेक्ट्रेट परिसर, रायगढ़ पिन नं. 496001**. कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए । इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें । जिला कार्यालय डाक पावती में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।

(कलेक्टर महो. व्दारा अनुमोदित)

26/7/23

जिला मिशन समन्वयक,
समग्र शिक्षा, रायगढ (छ.ग.)

स्पेशल एजूकेटर (समावेशी शिक्षा) के लिए आवेदन पत्र प्रारूप

Self Attested
Passport size
Photograph

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक

समग्र शिक्षा रायगढ़ छ.ग. 496001 कलेक्टोरेट परिसर

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में)..

   अंग्रेजी केपीटल लेटर में..

2. पिता/पति का नाम..

3. जन्म तिथि (अंकों में)........../........../...................... (शब्दों में)...

   .... दिनांक 01.07.2023 को आयु..................वर्ष......................माह................दिन

4. जाति वर्ग.. कृपया आरक्षित वर्ग के लिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का संलग्न करें।

5. छ.ग. का निवासी हैं- हां/नहीं   कृपया छ.ग. निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का संलग्न करें।

6. लिंग ....

7. शैक्षणिक योग्यता का विवरण

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/ वि वि का नाम	बिषय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	हाई स्कूल सर्टी.						
2	हायर सेक. स्कूल सर्टी						
3	स्नातक						
4	स्नातकोत्तर						
5	विशेष शिक्षा में बी.एड.						
6	विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा						
7	बी.एड.						
8	अन्य						

8. पत्र व्यवहार का पता...

   ....

   ....

9. दूरभाष नंबर...

10. स्थायी पता...

   ....

   .....

11. क्या आप दिव्यांग हैं- हां/नहीं यदि हां तो दिव्यांगता का प्रकार..प्रतिशत....................

मेडीकल बोर्ड का जिवित प्रमाणपत्र संलग्न करें।

12. क्या आप आर.सी.आई. में पंजीकृत हैं तो आर.सी.आई. नंबर.. प्रमाण पत्र संलग्न करें।

संलग्न प्रमाण पत्र की सूची- (स्व प्रमाणित संलग्न करें)

1..2..

3..4..

5..6..

7..8..

9..10..

स्थानः-

दिनांकः- आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज मेरी अधिकतम जानकारी अनुसार सही एवं सत्य हैं, यदि दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी। जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर

https://raigarh.gov.in

Official Website Of Raigarh District

Office Of the Collector, Raigarh (C.G.)

दिनांक: 26/07/2023

विभाग का नाम: शिक्षा विभाग - समग्र शिक्षा रायगढ़

सूचना / जानकारी का प्रकार: नोटिस: ☐ भर्ती: ☑ निविदा: ☐ अन्य: ☐

यदि अन्य है तो प्रकार बताए: ....

वेबसाइट पर सूचना / जानकारी प्रदर्शित किए जाने हेतु संक्षिप्त शीर्षक: (दिया गया शीर्षक ही वेबसाइट पर लिंक के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा| हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संक्षिप्त शीर्षक दिया जाना अनिवार्य है|)

हिंदी में: स्पेशल एजुकेटर (अनुसूचित जनजाति) भर्ती विज्ञापन

....

अंग्रेजी में: ....

....

प्रकाशन अवधि (नोट: सूचना प्रकाशन तिथि से लेकर अधिकतम 1 वर्ष तक प्रदर्शित की जाएगी):

दिनांक से: 26/07/2023 दिनांक तक: 31/08/2023

सूचना / जानकारी का संक्षिप्त विवरण: अनुसूचित जनजाति मुक्त 02 एवं अनुसूचित जनजाति महिला 01 कुल 03 पद हेतु मानदेय पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र 14/08/23 तक आमंत्रित है)

कार्यालय प्रमुख:

नाम एवं पदनाम: एन. के. चौधरी, जिला मिशन समन्वयक

फोन नंबर: .... मोबाईल नंबर: 9424187917

ईमेल: dpo.raigarh@gmail.com

https://raigarh.gov.in

Official Website Of Raigarh District
Office Of the Collector, Raigarh (C.G.)

सूचना / जानकारी प्रस्तुतकर्ता :

नाम एवं पदनाम: एन. के. चौधरी, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा रायगढ़

फोन नंबर: .... मोबाईल नंबर: 9424187917

ईमेल: dpo.raigarh@gmail.com

संलग्नक:

1. प्रदर्शित किये जाने हेतु सूचना / जानकारी की हस्ताक्षरित कापी
2. प्रदर्शित किये जाने हेतु सूचना / जानकारी की सॉफ्ट कापी CD अथवा Pen-drive में

सूचना / जानकारी प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वेबसाइट में प्रदर्शित किए जाने हेतु दी गई सूचना / जानकारी इस कार्यालय के द्वारा सत्यापित किया गया है तथा उक्त सूचना / जानकारी को **IT Act 2000 and Aadhar Act 2016 (office memorandum No.10(36)/2015-EG-II(Vol-V) dated 25-3-2017 of MEIT, GOI)** का पालन करते हुए सही पाया गया है| अतः उक्त सूचना / जानकारी को जिले की वेबसाइट(https://raigarh.nic.in) में प्रदर्शित की जा सकती है|

26/7/23
कार्यालय प्रमुख
Signature with Seal

नोट: उपर्युक्त सभी जानकारियाँ अनिवार्य है, किसी जानकारी के छोड़े जाने की अवस्था में फार्म स्वीकार्य नहीं होगा एवं सूचना / जानकारी वेबसाइट में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा |

संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रस्तुत सूचना / जानकारी की शुद्धता के प्रमाण पत्र के आधार पर, उक्त सूचना / जानकारी को जिले की वेबसाइट (https://raigarh.nic.in) पर अपलोड किया जा सकता है|

हस्ताक्षर
वेब इन्चार्ज / अपर कलेक्टर
कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.)